

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी**

कमांक:-

दिनांक:-

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, अलवर की बैठक दिनांक 29.06.2017 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाडी में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग 288, अल्प आय वर्ग 256 एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' 112 (जी+3) फ्लेट हेतु पंजीकरण योजना वर्ष 2015 के शेष पंजीकृत आवेदकों में से फ्लेट का आवंटन उन्हीं आवेदकों को किया जायेगा जिन्होंने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्तें जमा करवा दी गई हैं। फ्लेट्स का आवंटन वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। दिनांक 23.06.2017 के पश्चात जमा करवाई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

—: आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :-

क्र. सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय	स्थान
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 16.06.2017 सांय 5.00 बजे	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, आशियाना ग्रीन के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिवाडी, नोटिस बोर्ड पर
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 19.06.2017 से 23.06.2017 सांय 6.00 बजे तक	
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 27.06.2017 सांय 5.00 बजे	
4	आवंटन लॉटरी की तिथि	दिनांक 29.06.2017 सांय 2.00 बजे	

नोट:-

- यदि आवेदक द्वारा पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छाया प्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
- लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उपलब्ध फ्लेट्स/आवासों का आवंटन वरीयतानुसार किया जायेगा।
- इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
- आरक्षण राशि जमा नहीं कराने से यदि वरीयता क्रम भंग होता है, तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नहीं होगा।
- सम्पत्ति निस्तारण हेतु मण्डल निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- फ्लेट्स/आवास आवंटन लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार खण्ड भिवाडी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी

राजस्थान आवासन मण्डल

—: आवश्यक सूचना :—

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, अलवर की बैठक दिनांक 29.06.2017 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग 288, अल्प आय वर्ग 256 एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' 112 (जी+3) फ्लेट हेतु पंजीकरण योजना वर्ष 2015 के शेष पंजीकृत आवेदकों में से फ्लेट का आवंटन उन्हीं आवेदकों को किया जायेगा जिन्होंने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्तें जमा करवा दी हैं। फ्लेट्स का आवंटन वेब वेस्ट कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। दिनांक 23.06.2017 के पश्चात जमा करवाई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

—: आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :—

क्र.स.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय	स्थान
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 16.06.2017 सायं 5.00 बजे	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, आशियाना ग्रीन के सामने, हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी, नोटिस बोर्ड पर
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 19.06.2017 से 23.06.2017 सायं 6.00 बजे तक	
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 27.06.2017 सायं 5.00 बजे	
4	आवंटन लॉटरी की तिथि	दिनांक 29.06.2017 सायं 2.00 बजे	

नोट:-

- यदि आवेदक द्वारा पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्त जमा करवा दी गई है तो जमा राशि के चालान की छाया प्रति आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही लॉटरी में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
- लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उपलब्ध फ्लेट्स/आवासों का आवंटन वरीयतानुसार किया जायेगा।
- इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
- आरक्षण राशि जमा नहीं कराने से यदि वरीयता क्रम भंग होता है, तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नहीं होगा।
- सम्पत्ति निस्तारण हेतु मण्डल निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- फ्लेट्स/आवास आवंटन लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर तथा अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार खण्ड भिवाड़ी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

आवासीय अभियन्ता,
खण्ड भिवाड़ी

राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी


क्रमांक 758

दिनांक 8/6/2017

संशोधन पत्र

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी द्वारा दिनांक 01.06.2017 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में आवंटन लॉटरी कार्यक्रम की विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया गया था। उक्त विज्ञप्ति में मध्यम आय वर्ग 'ब' के स्थान पर मध्यम आय वर्ग 'अ' पढ़ा जावे।

आज्ञा से


आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड भिवाडी
8/6/17